

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :-769/2014

जगदीश प्रसाद वर्मा

—अपीलार्थी

बनाम

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर एवं अन्य।

—प्रत्यर्थागण

आदेश की दिनांक : 07.08.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता

प्रत्यर्थागण की ओर : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता।

समक्ष :- अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)

चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी के अधिवक्ता ने पुनरीक्षित वेतनमान नियम-2008 में वेतन स्थिरीकरण का लाभ दिये जाने की प्रार्थना की है।
2. प्रत्यर्थागण ने अपने जवाब में यह कथन किया है कि अपीलार्थी का पुनरीक्षित वेतनमान नियम-2008 के अंतर्गत वेतन स्थिरीकरण कर पेंशन भी संशोधित की जा चुकी है। इस प्रकार प्रत्यर्थागण द्वारा विभाग ने उक्त लाभ अपीलार्थी को दिया जाना बताया है। इस स्थिति का अपीलार्थी के अधिवक्ता ने खण्डन नहीं किया है।
3. प्रत्यर्थागण द्वारा प्रस्तुत अपील में दिये गए जवाब के आधार पर अपील के Infuctuous हो जाने के आधार पर यह अपील खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)

सदस्य

(अनन्त भंडारी)

सदस्य(न्यायिक)